B.A II Hon's

मूल अधिकार तथा कर्त्तव्य

मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून में निहित किया गया है और विधायिका तथा कार्यपालिका स्वीकार करती है। इसे संविधान के तृतीय भाग में रखा गया है। और भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतन्त्रताओं का अधिकार प्रदान (Magna Carta) माना जाता है। मूल अधिकार वह अधिकार है। जिसमें भारत के सभी नागरिकों को चाहे वे देश के किसी भी भाग के निवासी हों, किसी भी धर्म, सम्प्रदाय के अनुयायी हों सभी को बराबर का अधिकार प्रदान किये गये हैं।

मूल अधिकारों में 'मूल' शब्द का यह अभिप्राय नहीं कि इन अधिकारों को बदला नहीं जाता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पतंजली शास्त्री ने यह निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकार वाले भाग में संशोधन करने का अधिकार है। और संविधान के 24 वें और 25 वें संशोधन द्वारा संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

Scanned with CamScanner

मूल अधिकारों की विशेषताएँ —

(i) मूल अधिकार नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हो।
(ii) मूल अधिकारों को सभी सरकारें मान्यता देने तथा क्रियान्वित करने हेतु बाध्य।
(iii) मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका।
(iv) सरकार की निरंकुशता पर अंकुश।
(v) कुछ अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को प्राप्त हो
(vi) राज्य तथा समाज हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध
(vii) मूल अधिकार भारत के परिस्थितियों के अनुकूल
(viii) मूल अधिकारों को भारत के संविधान में स्थान।

(i) मूल अधिकार नागरिकों को समान रूप से प्राप्त — मूल अधिकार देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है।

Dr. Thakur